सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 20.07.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना मेंहनगरः-गोकशी में वांछित अभियुक्त 02 अदद प्रतिबंधित पशु के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 19.7.2025 को उ0नि0 आदिल खां मय हमराह के साथ थाना से रवाना होकर तलाश वांछित, वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन मे मामूर होकर ग्राम जाफरपुर से चन्द्रभानपुर जा रहे थे कि ग्राम चन्द्रभानपुर भदसारी मोड़ पर एक मैजिक गाड़ी संदिग्ध हालत में आती दिखाई दी शक होने गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया गया परन्तु गाड़ी चालक तेजी से गाड़ी चलाते हुए लाया मोड़ पर गाड़ी को अचानक मोडा कि गाडी अनियत्रित होकर रोड से उतरकर पटरी पर जाकर फंस गई। पुलिस वालों को देख गाडी चालक व उसमें बैठा एक व्यक्ति भागने का प्रयास किये जिसमें पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को समय करीब 11.10 बजे पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति द्वारा अफना नाम अमित कुमार S/0 छोटेलाल R/O चन्द्रभानपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र- 18 वर्ष बताया गया। जामा तलाशी में गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मैजिक गाड़ी के अंदर 02 अदद प्रतिबंधित पशु तथा एक अदद मैजिक गाडी UP 50 DT 1237 बरामद किया गया। है मैजिक जिसका चे0नं0 MAT 559014 MZD0 9146 इ0नं 700 CCD 102 DYX 534966 ई चालान एप पर देखा गया तो वाहन स्वामी का नाम पुष्पेन्द्र कुमार S/O छोटेलाल R/O चन्द्रभानपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ है । पकड़े गये व्यक्ति से भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने उसका नाम वसीम उर्फ करिया S/O बशीर उर्फ नाटे R/O गौरा थाना मेंहनगर जनपद- आजमगढ़ बताया कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि साहब यह मैजिक गाडी मेरे भाई के नाम से है इसे मै चलाता हूँ। मेरा साथी वसीम उर्फ करिया उपरोक्त ने बताया कि अपनी पीकप/ मैजिक गाड़ी ले आओ उसमे जानवर लादकर ग्राम कोइलारी थाना रानी की सराय ले जाना है। छुट्टा जानवर पकड़कर लादकर ले जा रहे थे अभी और भी जानवर लादना था कि आप लोगो ने पकड़ लिया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 बनाम 1.अमित कुमार S/0 छोटेलाल R/O चन्द्रभानपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 2. वसीम उर्फ करिया S/O बशीर उर्फ नाटे R/O गौरा थाना मेंहनगर जनपद- आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अमित कुमार S/0 छोटेलाल R/O चन्द्रभानपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01. 02 अदद प्रतिबंधित पशु बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मेंहनगर

आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मेंहनगर
02. मु0अ0सं0 43/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 आदिल खां थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
02. हे0का0 अनिल कुमार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
03. का0 ग्रिजेश यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

02. थाना-देवगाँवः-चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त, अवैध तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त 02 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 17.07.2025 को आवेदिका चाँदनी देवी पत्नी प्रदीप ग्राम बैरीडीह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के पति प्रदीप पुत्र रामजीत निवासी ग्राम बैरीडीह थाना देवगाँव आजमगढ़ जो बेटी का बिसकिट नमकीन लेने सत्यदेव किराना स्टोर बैरिडीह गये थे जहाँ आरोपीगण आपस में बहस व गाली गलौज कर रहे थे। वादिनी के पति द्वारा बीच-बचाव करते हुए वहाँ से हठ जाने के लिए कहे जाने पर दुकान के पास ही खीचकर ले जाकर वही पर चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर देने जिससे वादिनी के पति घायल हो गये। उनके पेट मे गहरी चोटे आयीं। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 243/2025 धारा 109/352 बी0एन0एस0 बनाम 1. आजम पुत्र रूस्तम, 2. इमलाक पुत्र इरशाद निवासीगण ग्राम बैरीडीह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 19.07.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. आजम उर्फ शनि पुत्र मुन्ना उर्फ रूश्तम उम्र 30 वर्ष निवासी बलुआघाट थाना कोतवाली जनपद जौनपुर, 2.इमलाक पुत्र इरशाद उम्र 25 वर्ष निवासी बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ को मोलनापुर ओवरब्रीज हाइवे के नीचे से समय सुबह 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी में अभियुक्त आजम उर्फ शनि उपरोक्त के से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 4500 रू नगद व घटना में प्रयुक्त दो अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 244/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो अदद चाकू बरामद किया गया तथा इनसे कडाई से पूछताछ में आजम उर्फ शनि उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 21.06.2025 को मैं व इमलाक डीलक्स गाडी नं0 UP50AQ6674 मोटरसाईकिल नंदापुर देवगांव से शाम करीब 7.00 बजे चोरी कर लिए थे तथा उसको ले जाकर

कुछ दिन बाद एक अन्जान कबाडी को 20000 रू मे बेच दिये थे और रूपये को हमलोग आपस मे बराबर बाट लिये थे। दिनांक 23.02.2025 को मै व इमलाक रात्रि में मिर्जाआदमपुर गांव से एक भैस चोरी कर लिये थे तथा उसको ले जाकर अज्ञात व्यापारी को 20000 रूपये मे बेच दिये थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 27.02.2025 को मै व इमलाक जगदीशपुर बुजुर्ग में निर्माणाधीन मकान के सामने लगा हैन्डपम्प को चोरी कर लिये थे जिसको अनजान कबाडी को 2000 रू में बेच दिये थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 244/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

01. एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस
02. अदद चाकू
03. 4500 रूपये

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. आजम उर्फ शनि पुत्र मुन्ना उर्फ रूश्तम उम्र 30 वर्ष निवासी बलुआघाट थाना कोतवाली जनपद जौनपुर
2. इमलाक पुत्र इरशाद उम्र 25 वर्ष निवासी बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

आजम उर्फ शनि पुत्र मुन्ना उर्फ रूश्तम उम्र 30 वर्ष निवासी बलुआघाट थाना कोतवाली जनपद जौनपुर

1. मु0अ0सं0 244/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़
2. मु0अ0स0 78/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0स0 87/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0स0 229/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 243/2025 धारा 109, 352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

इमलाक पुत्र इरशाद उम्र 25 वर्ष निवासी बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ

1. मु0अ0स0 78/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 87/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0स0 229/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 243/2025 धारा 109,352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-</u>

01. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी लालगंज थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
03. उ0नि0 चित्रांशू मिश्रा थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
04. उ0नि0 गौरव सिंह थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
05. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
06. का0 अजय पाल थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

07.का0 दिनेश यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

08.का0 प्रवीण दुबे थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

09.का0 संदीप कुमार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

03.थाना-कंधरापुरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार*

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण–

आज दिनांक 19.07.2025 को उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराहद्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्तिकलीम पुत्र मारूल निवासी विशौली थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 28वर्ष को चेवता मोड़ से समय करीब 02.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे सेएक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. कलीम पुत्र मारूल निवासी विशौली थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 28वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 228/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

कलीम पुत्र मारूल निवासी विशौली थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 28वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
1	228/2025	303(2)/317(2) बीएनएस	कोतवाली
2	228/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	थाना कन्धरापुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1.उ0नि0 प्रशान्त सिंहथाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

2.हे0का0 भानु यादवथाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

3.हे0का0 कौशलेषथाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

4.का0 जितेन्द्र सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

5. का0 अजय कुमार यादव थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

04.थाना-मुबारकपुरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार*

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 19.07.2025 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति समसुद्दीन s/o मो0 अकरम निवासी भटपुरवा थाना फूलपुर जनपद आजंमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को जामियाबाद मोड़ से

मदरसा वाले रोड पर से समय 06.26 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. समसुद्दीन s/o मो0 अकरम निवासी भटपुरवा थाना फूलपुर जनपद आजंमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 मुरारी मिश्र, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
02. का0 सत्येन्द्र यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
03. का0 कलामुद्दीन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

05..थाना-रौनापारः-चोरी के 01 अदद 08 हार्स पावर किर्लोस्कर इंजन के साथ 05 नफर अभियुक्त (चोर) गिरफ्तार*

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 18.07.2025 को वादी अरविन्द राय पुत्र भागवत राय ग्रा0 जोकहरा थाना रौनापार द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 14.07.2025 की रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा छत का कटरैन तोडकर ऊपर से अन्दर घुसकर अन्दर से दरवाजा का लाक तोड़कर प्रतिवादीगण द्वारा इंजन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया जिस पर थाना हाजा पर दिनांक 18.07.2025 को मु0अ0सं0 272/2025 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. श्यामलाल मौर्या पुत्र रामप्रसाद मौर्या निवासी ग्राम नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. आकाश पटेल पुत्र भृगुनाथ पटेल निवासी ग्राम आसपुर लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. शुभम सिंह उर्फ मल्लू पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम हरिपरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 4.नीतीश वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी ग्राम बनकटिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व 5. कपिल यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी ग्राम पीपरपाती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.03.2025 को उ0नि0 विवेक सिंह, उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में अभियुक्तगण 1.श्यामलाल मौर्या पुत्र रामप्रसाद मौर्या निवासी ग्राम नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. आकाश पटेल पुत्र भृगुनाथ पटेल निवासी ग्राम आसपुर लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. शुभम सिंह उर्फ मल्लू पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम हरिपरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 4.नीतीश वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी ग्राम बनकटिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व 5. कपिल यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी ग्राम पीपरपाती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी की एक अदद इंजन किर्लोस्कर कंपनी के साथ ग्राम बीबीपुर पुलिया थानाक्षेत्र रौनापार से समय रात्रि करीब 02.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>*पंजीकृत अभियोग-*</u>

1. मु0अ0सं0- 272/2025 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-*</u>

1. श्यामलाल मौर्या पुत्र रामप्रसाद मौर्या निवासी ग्राम नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. आकाश पटेल पुत्र भृगुनाथ पटेल निवासी ग्राम आसपुर लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3. शुभम सिंह उर्फ मल्लू पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम हरिपरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. नीतीश वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा निवासी ग्राम बनकटिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
5. कपिल यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी ग्राम पीपरपाती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

<u>*बरामदगी-*</u>

चोरी की एक अदद इंजन किर्लोस्कर कंपनी का जिसका इजन नम्बर 18.1301/922515 ।

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-*</u>

1. उ0नि0 श्री विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार आजमगढ़।

3. उ0नि0 श्री सुमित सिंह थाना रौनापार आजमगढ़।

4. हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना रौनापार आजमगढ़।

5. का0 राहुल यादव थाना रौनापार आजमगढ़।

6. का0 दिलीप कुमार थाना रौनापार आजमगढ़।

7. का0 रामविलास थाना रौनापार आजमगढ़।

8. का0 मो0 तबरेज थाना रौनापार आजमगढ़।

9. का0 रवि शर्मा थाना रौनापार आजमगढ़।

<u>साइबर थाना- जनपद आजमगढ़*</u>

<u>*थाना रौनापार व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक/इन्सटाग्राम/यूट्युब पर अभद्र टिप्पणी एवं जान से मारनें की धमकी देनें वाले 01 अभियुक्त (अमृतसर- पंजाब) से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया*</u>

दिनांक- 19.07.2025 को थाना रौनापार व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक/इन्सटाग्राम/यूट्युब पर अभद्र टिप्पणी एवं जान से मारनें की धमकी देनें वाले 01 अभियुक्त (अमृतसर- पंजाब) से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन के साथ*गिरफ्तार किया गया।

<u>*पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–*</u>

दिनांक 27.05.25 को वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा लड़का रामनरायन उर्फ शिवा शुक्ला दिनांक 14.05.25 को घर पर वादिनी को गाली गुप्ता दिया और अब गाली गुप्ता व जान मारने की धमकी की वीडियो फेसबुक, इस्टाग्राम व यूट्युब पर अपलोड कर रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। जिसके आधार पर थाना

स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 352,351(2)/308(5) बीएनएस व 67 आई0टी0 एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,जनपद आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम आजमगढ़, क्षेत्राधिकारी सगड़ी महोदय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक साइबर अपराध अशोक कुमार तिवारी नियुक्ति श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय कार्यालय सगड़ी मय हमराह द्वारा दिनांक 17.07.2025 को बार-बार दबिश देने के बावजूद गिरफ्तार न होने पर माननीय न्यायालय आजमगढ़ से NBW प्राप्त कर तथा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ से अभियुक्त के मिलने वाले स्थान जिला अमृतसर पंजाब जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर निरीक्षक मय हमराही कर्मचारी का0 नितेश कुमार, का0 संतोष कुमार गौड़ के दिनांक 15.07.2025 को रवाना होकर साइबर सेल के मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश जायसवाल से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर अभियुक्त के किराए के मकान थाना क्षेत्र सुल्तान विंग के कोर्टमीत सिंह पुलिस चौकी गली नंबर 03 लकी पेंट हाउस के सामने का लोकेशन प्राप्त कर थाना सुल्तान विंग जनपद अमृतसर पहुंचकर आमद कराया और थाने से एक एएसआई श्री श्याम सुंदर को साथ लेकर अभियुक्त के किराए के मकान पर पहुंचा अभियुक्त घर पर मौजूद मिला जिसे कारण गिरफ्तारी बता कर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अमृतसर के माननीय न्यायालय में चार दिवस ट्रांजिट रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया जहां पर माननीय न्यायालय अमृतसर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त राम नारायण शुक्ला उर्फ शिवा शुक्ला पुत्र राम प्रकाश शुक्ला उपरोक्त को माननीय न्यायालय अमृतसर (पंजाब) से मा0 न्यायालय आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) लाने हेतु तीन दिवस का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर जारिए ट्रेन लाकर थाना रौनापार के हवालात में दिनांक 18.07.2025 समय 22.46 बजे दाखिल किया गया जिसे आज दिनांक 19.07.2025 को मा0 न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त रामनरायन उर्फ शिवा शुक्ला पुत्र रामप्रकाश शुक्ला साकिन भदौरा मकरंद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैनें बदला लेनें के लिए ऐसा काम किया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 195/2025 धारा 352,351(2)/308(5) बीएनएस व 67 आई0टी0 एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामनरायन उर्फ शिवा शुक्ला पुत्र रामप्रकाश शुक्ला साकिन भदौरा मकरंद थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.नि0अ0 अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी जनपद आजमगढ़

2.का0 संतोष गौड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3.का0 नितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

4.मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल साइबर सेल आजमगढ़ (तकनीकी सहायक)

जनपद –मऊ

01. 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोबाइल, एक हजार रुपये व दो अदद अवैध तमन्चा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर असना नहर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 370/25 धारा 305ए बीएनएस से संबंधित नामजद अभियुक्तगण सलमान पुत्र नजमुद्दीन निवासी बनगांव थाना घोसी,मो0 तालिब पुत्र एखलाख निवासी मदरसा बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन, एक हजार रुपया व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल तथा दो अदद नाजायज तमन्चा व कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। अवैध तमन्चा व कारतूस के बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो को चालान न्यायालय किया गया। बरामद दो पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया। अभियुक्त सलमान पुत्र नजमुद्दीन के विरूद्ध जनपद मऊ के थाना घोसी पर 02 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्तमो0 तालिब पुत्र एखलाख के विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सलमान पुत्र नजमुद्दीन निवासी बनगांव थाना घोसी जनपद मऊ।
2. मो0 तालिब पुत्र एखलाख निवासी मदरसा बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की एक मोबाइल फोन
2. चोरी की 1000 रुपये।
3. दो अदद अवैध तमन्चा व कारतूस।
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 प्रकाश कुमार
3. उ0नि0 सूरज सिंह
4. उ0नि0 प्रदीप कुमार राही
5. हे0का0 सुनिल कुमार यादव
6. हे0का0 शोएब आलम
7. का0 शैलेष कुमार
8. का0 प्रशान्त कुमार थाना घोसी जनपद मऊ।

जनपद – बलिया

1. थाना नरही जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 बोरी मे 06 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48-48 पाउच 8 PM, प्रत्येक पाउच मे 180 ML कुल 288 पाउच फ्रूटी नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सर्किल सदर बलिया व प्र0नि0 नरही नदीम अहमद फरीदी के नेतृत्व में आज दिनांक 19.07.2025 को थाना नरही पुलिस टीम के उ0नि0 गणेश पाण्डेय मय हमराह हे0का0 प्रवीण कुमार जो देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिरी सूचना पर नहर डाक बंगला कोरण्टाडीह बहद ग्राम नसीरपुर मठ के पास से अभियुक्त 1.रोशन कुमार पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद निवासी माल की कचहरी थाना माल सलामी जनपद पटना सीटी बिहार उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 बोरी में 06 पेटी प्रत्येक पेटी में 48-48 पाउच 8 PM, प्रत्येक पाउच मे 180 ML कुल 288 पाउच फ्रूटी नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 173/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नरही, बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रोशन कुमार पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद निवासी माल की कचहरी थाना माल सलामी जनपद पटना सीटी बिहार उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

1. 02 बोरी में 6 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48 -48 पाउच, प्रत्येक पाउच 180 ML कुल 51.84 लीटर।